जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली चोरी प्रकरण में पच्चीस हजार चार सौ नो रुपए का जुर्माना

जयपुर, 13 फरवरी। ट्रांसफार्मर की वैल्डिंग तोड़कर मोटर के तारों को ट्रांसफार्मर की एल.टी. बुशिंग से सीधे बिना मीटर के जोड़कर बिजली चोरी करने पर ग्राम कंवरपुरा जिला बूंदी निवासी सोहनलाल पुत्र स्व0 आला मीणा पर 25 हजार 409 रुपए का जुर्माना किया, जिसे अभियुक्त द्वारा जमा करा देने पर विशिष्ट न्यायाधीश (विद्युत अपराध प्रकरण) एवं अपर सैशन न्यायाधीश क्रम–1, बूंदी ने परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत सदाचरण की परीविक्षा पर इस आधार पर रिहा किया कि अभियुक्त अगले दो वर्ष तक सद्चरित्र व सद्व्यवहारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृति नही करेगा।

गौरतलब है कि जुलाई, 2010 में जयपुर विद्युत वितरण निगम के सतर्कता दल ने जांच में अभियुक्त सोहनलाल द्वारा 25 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर की वैल्डिंग तोड़कर बिना मीटर के मोटर के तारों को ट्रांसफार्मर की एल.टी. बुशिंग से सीधे जोड़कर सिंचाई करता हुआ पाया गया। इस पर अभियुक्त को दिए गए जुर्माना राशि के नोटिस की राशि जमा करा देने एवं स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकार कर लेने पर अभियुक्त द्वारा लोक अदालत की भावना से परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की।

निगम द्वारा प्रस्तुत साक्षों के आधार पर माननीय न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–138 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराकर अभियुक्त सोहनलाल को परिवीक्षा की शर्तों की अनुपालना में 2 हजार रुपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका जमा कराने के आदेश दिए। साथ ही निगम के ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में 500 रुपए बतौर क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने के आदेश भी दिए।

समस्त आम–जन से अपील है कि राष्ट्र एवं प्रदेश के हित में बिजली चोरी न तो स्वयं करें और न ही अन्य को इस कार्य के लिए प्रोत्सहित करें। बिजली चोरी एक अपराध है एवं इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है। जिसका परिणाम बिजली चोरी करने वाले के साथ ही उसके परिवार एवं अन्य ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है। कहीं पर भी बिजली चोरी देखें तो उसकी सूचना नजदीक के निगम कार्यालय को अवश्य दें।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 269/2012